पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 215/2024 दिनांक- 10.07.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने थाना महराजगंज व कप्तानगंज का किया आकस्मिक निरीक्षण दिये आवश्यक दिशा निर्देश

दिनांक- 09.07.2024 को ***पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना*** द्वारा थाना महराजगंज व कप्तानगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा निम्न दिशा-निर्देश दिये गये-

➡ थाना कार्यालय के अभिलेखो का अवलोकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

➡ थाना परिसर की साफ सफाई का निरीक्षण कर अच्छी साफ सफाई नही दिखी, थाना प्रभारी को थाना परिसर में साफ सफाई कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

➡ पुलिस कर्मियों से लागू किये गये नये कानूनों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

➡ थाना कार्यालय के सीसीटीएनएस कक्ष का निरीक्षण कर नियुक्त कर्मचारियों को नये कानून के तहत पंजीकृत होने वाले मुकदमों के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये।

➡ थाना परिसर में लगाये गये सीसीटीवी कैमरो की स्थिती परखी।

➡ पेंडिग विवेचनाओ के सम्बन्ध में सम्बन्धित विवेचको से स्थिती की जानकारी ले, सम्बन्धित को निर्देश दिये गये।

थाना गम्भीरपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार

दिनांक 10.07.2024 को उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान 01 अभियुक्त मोहम्मद हारिश पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष को 01 अदद तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ विसहम मोड़ तिराहा से समय करीब 10.45 बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मु.अ.स. 261/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. अभियुक्त मोहम्मद हारिश पुत्र मोहम्मद आरिफ निवासी ग्राम मंगरावा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 28 वर्ष

पंजीकृत अभियोगआपराधिक इतिहासः—

1. मु0अ0सं0-67/2008 धारा- 8/22 NDPS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-278/16 धारा-8/21/22 NDPS थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-271/17 धारा-380/511 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0- 261/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवण—

1. एक अदद तमन्चा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद होना

गिरफ्तारी करने वाली टीम

उ0नि0 विजय कुमार शुक्ला थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

का0 विनोद वर्मा थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

का0 सच्चिदानन्द तिवारी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना अतरौलिया

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के 02 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का विवरण –

वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने थाना अतरौलिया पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 06.07.2024 वादिनी/पीडिता रात्रि में टहलते वक्त विपक्षीगण अमर सोनकर ,साजन सोनकर द्वारा कुछ दूर प्राथमिक पाठशाला के सामने ले जाकर बारी- बारी से दुष्कर्म किया गया गया, के सम्बन्ध में थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0 252/24 धारा 70(2)भा0न्या0सं0 3/4 (2) पाक्सो एक्ट बनाम 1. अमर सोनकर पुत्र बेदाने सोनकर 2. साजन सोनकर पुत्र अर्जुन सोनकर निवासीगण खानपुर फतेह वार्ड नं0- 2 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरणः-

आज दिनांक 10.07.24 को थानाध्यक्ष मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तगण 1. अमर सोनकर पुत्र सरवन सोनकर 2. साजन सोनकर पुत्र अर्जुन सोनकर निवासीगण खानपुर फतेह वार्ड नं0 02 थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ उपरोक्त को गदनपुर हाईवे के पास से समय करीब 9.40 बजे सुबह हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 252/24 धारा 70(2)भा0न्या0सं0 3/4 (2) पाक्सो एक्ट एक्ट थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1.अमर सोनकर पुत्र सरवन सोनकर उम्र 19 वर्ष

2. साजन सोनकर पुत्र अर्जुन सोनकर उम्र 22 वर्ष निवासीगण खानपुर फतेह वार्ड नं0 02 थाना अतरौलिया जनपद आजमग

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण –

1. थानाध्यक्ष वीरेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह हे0का0 गोविन्द मौर्या, का0 सुमन प्रभात व का0 मुकेश यादव

थाना – तरवां

किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म का आरोपी बाल अपचारी

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

दिनांक-27.04.2024 को वादिनी मुकदमा थाना तरवां जिला आजमगढ ने थाना तरवां पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की लड़की घर से किसी को बिना कुछ बताये चली गयी है, काफी खोजबीन के बाद भी नहीं मिली है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर दिनांक 29.04.2024 को मु0अ0सं0 132/2024 धारा 366 भादवि पंजीकृत किया गया है। जिसकी विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार मिश्रा द्वारा सम्पादित किया गया। बाद दौराने विवेचना व बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 161/164 सीआरपीसी के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा-363, 376 भादवि व 3 /4 पाक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी है तथा पीडिता व अभियुक्त के शैक्षिक प्रमाण पत्र से दोनो नाबालिक है।

पुलिस अभिरक्षा का विवरण-

दिनांक 09.07.2024 को उ0नि0 रतनकुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बालअपचारी को परमानपुर चौराहे से समय करीब 16.00 बजे नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लेकर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

थाना मुबारकपुर

जमीन की फर्जी/कूटरचना कर बैनामा करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 15.05.2024 को वादिनी मुकदमा श्रीमती ज्ञानवती देवी पत्नी दयाशंकर सिंह साकिन बगहीडाड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दी कि कूटरचना व फर्जी तरीके से धोखाधड़ी के माध्यम से अभियुक्त उदरेश पुत्र पट्टर निवासी बगहीडाड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा अपनी अराजी नं0 285 को दुर्गेश पुत्र रामनगीना साकिन बगहीडा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को बिक्री कर देना पुनः उसी जमीन को अपने पुत्रों पीयूष व सन्नी को हिब्बानामा कर देने के सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 191/2024 धारा 420/406/467/468/471 भादवि बनाम उदरेश पुत्र पट्टर आदि 02 नफर के विरूद्ध पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी बनकट उ0नि0 धर्मराज द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण–

दिनांक 10.07.2024 को वादी उ0नि0 धर्मराज यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बनधित अभियुक्त उदरेश पुत्र पट्टर निवासी बगहीडाड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को बगहीडाड़ मोड़ से समय करीब 09.55 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः- उदरेश पुत्र पट्टर निवासी बगहीडाड़ थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 191/2024 धारा 406/420/467/468/471 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम – उ0नि0 धर्मराज यादव, का0 आनन्द यादव थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

थाना- जीयनपुर

अवैध असलहा व कारतूस के साथ शातिर अपराधी गिरफ्तार, एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज।

दिनांक--09/07/2024 को उ0नि0 जाफर खाँ मय हमराहीगण को सूचना मिली कि एक व्यक्ति लाटघाट की तरफ से आ रहा है रायल स्टार ढाबा के बगल खडंजा रास्ते से तरौका के तरफ जायेगा यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुँची जहां पर एक मोटरसाइकल से एक व्यक्ति रायल ढाबा से मुडकर कर खडंजा के रास्ते तरौका की तरफ आता हुआ दिखायी दिया उक्त मोटरसाकिल सवार व्यक्ति को पुलिस बल की मदद से घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम पवन जायसवाल पुत्र जयकिशुन उर्फ जयकिशन नि0शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र 42 वर्ष बताया तथा इसके एक अदद तमंचा .315 बोर एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। जिसे समय 21.20 बजे हिरासत पुलिस लिया गया बरामदगी /गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 311/2024 धारा 3/25 A ACT बनाम पवन जायसवाल पुत्र जयकिशुन उर्फ जयकिशन नि0शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- पवन जायसवाल पुत्र जयकिशुन उर्फ जयकिशन नि0शहाबुद्दीनपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ उम्र 42 वर्ष

बरामदगी का विवरणः-

1-एक अदद तमंचा .315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

पंजीकृत अभियोग- 1. मु0अ0स0 311/2024 धारा 3/25 A ACT थाना जीयनपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 222/2017 धारा 2/3 सार्वजनिक सम्पति नुकसान अधि0 थाना बिलरियागंज आजमगढ़
2. मु0अ0स0 176/2015 धारा 110G सीआरपीसी थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. मु0अ0स0 90/2012 धारा 110G सीआरपीसी थाना बिलरियागंज आजमगढ़
4. मु0अ0स0 130/2012 धारा 110G सीआरपीसी थाना बिलरियागंज आजमगढ़
5. मु0अ0स0 351/2011 धारा 60/60(2)EX ACT व 272/273 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
6. मु0अ0स0 523/2011 धारा 60EX ACT थाना बिलरियागंज आजमगढ़
7. मु0अ0स0 684/2010 धारा 60EX ACT व 272/273 भादवि थाना सिधारी आजमगढ़
8. मु0अ0स0 105/2009 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़
9. मु0अ0स0 500/2008 धारा 41/411/414 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
10. मु0अ0स0 1083/2007 धारा 60/62/63EX ACT व 272/419भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
11. मु0अ0स0 321/2006 धारा 307 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
12. मु0अ0स0 322/2006 धारा 60 EX ACT व 120B भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
13. मु0अ0स0 323/2006 धारा 60 EX ACT थाना बिलरियागंज आजमगढ़
14. मु0अ0स0 324/2006 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. उ0नि0 जाफर खाँ मय हमराह थाना जीयनपुर आजमगढ़

थाना फूलपुर

वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 21.06.24 को मुकदमा वादी अवधेश दास पुजारी बाबा भगवती दास आश्रम जगीदशपुर के द्वारा लिखित सूचना दिया गया कि दिनांक 18-06-2024 को ज्ञान प्रकाश यादव पुत्र स्व0 सोभनाथ यादव जिसको उम्र लगभग पैतीस वर्ष है मन्दिर पर आकर कहने लगा कि मन्दिर पर चढावा अधिक आता है ,मुझे पीने खाने के लिए 500 रुपये प्रति हफ्ता दिया करो मैने मना कर दिया तो जाते जाते धमकी दे गया कि इसका अंजाम तुम्हे भोगना पडेगा। दिनांक 19/20 की रात्रि में लगभग 1 बजे मन्दिर के पीछे की दिवार तोडकर मन्दिर के अन्दर घुसकर मन्दिर के मूर्ति पर लगाये गये चाँदी के दोनो मुकुंट का चोरी किया गया तथा मन्दिर में रखे दान पेटो को तोडा जाने लगा जिसकी आवाज सुनकर मेरी नीद खुल गयी देखा की दो आदमी हाथ मे कट्टा लिए हुए थे और मोबाईल लेकर भाग जाना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 340/2024 धारा 382,383,457,411 IPC बनाम ज्ञानप्रकाश यादव उर्फ ज्ञानू पुत्र स्व0 शोभनाथ यादव निवासी जगदीशपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ आदि के पंजीकृत है। विवेचना उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी के द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनाक 10-07.2024 को उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त लाल बाबा उर्फ लालदास पुत्र रामसुन्दर यादव निवासी ईशापुर ब्रड़राव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष को ऊदपुर में पेट्रोल पम्प के पास से समय करीब 11-55 बजे धारा 382,383,457,411 IPC का अपराध बताकर हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1-लाल बाबा उर्फ लालदास पुत्र रामसुन्दर यादव निवासी ईशापुर ब्रड़राव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष

बरामदगी का विवरणः- चोरी का 640 रुपया नगद

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 340/24 धारा 382,383,457,411 भा0द0वि0 थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. लाल बाबा उर्फ लालदास पुत्र रामसुन्दर यादव निवासी ईशापुर ब्रड़राव थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 34 वर्ष।

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	340/2024	382,383,457,411 भा0द0वि0	फूलपुर	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

1-उ0नि0 दिनेश कुमार त्रिपाठी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।

2-का0 अरविन्द तिवारी थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।